58

## न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

## समक्ष

## एस0एस0अली

## सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1683–दो/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29–4–2015 – पारित द्वारा – आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल – प्रकरण क्रमांक 65/2009–10 अपील

1– सुदामाराम पांडे पुत्र भगवतराम पांडे
2– प्रदीपकुमार पुत्र सुदामाराम पांडे
निवासी चेतानगर अनूपपुर ----आवेदक

विरूद्ध

1– धानू पुत्र बुल्ला राठौर
2– बूदन पत्नि स्व. बद्री राठौर
निवासी अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर
3– उषा पुत्री स्व.बद्रीप्रसाद राठौर पत्नि डोले

मृतक वारिस

अ– कु.पूजा ब– कु.आरती स– कु. भारती
द– कु. लक्ष्मी पिता डोले राठौर
ई– विजय पिता डोले राठौर निवासीगण ग्राम
सेन्दुरी तहसील व जिला अनूपपुर
4– पुन्नी पुत्री स्व. बद्री राठौर पत्नि गणेश ग्राम सेन्दुरी
तहसील व जिला अनूपपुर
5– बूटी पुत्री स्व. बद्री राठौर 6– माधुरी पुत्री स्व. बद्री राठौर
निवासी अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर
7– जगदीश पुत्र बाबूलाल राठौर निवासी अनूपपुर वस्ती
तहसील व जिला अनूपपुर

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

कृ0पृ0उ0----2

# आ दे श

(आज दिनांक 11-01-2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण क्रमांक 65/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-4-2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सुदामाराम पुत्र भगवतराम पांडे ने उनके स्वामित्व की ग्राम परसवार स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 657 रकबा 1.708 हैक्टर का विनिमय बुल्ला राठौर की अनूपपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 599 रकबा 0.150 हैक्टर से करने हेतु तहसीलदार अनूपपुर के यहॉ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 167 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार अनूपपुर ने प्रकरण क्रमांक 1 अ-74/1982-83 में पारित आदेश दिनांक 25-11-1982 से भूमि विनिमय स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध मृतक बुल्ला राठौर के पुत्र धानू ने अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर ने प्रकरण क्रमांक 56/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनॉक 29-4-2015 से अपील अवधि-वाह्य मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त शहडौल संभाग, शहडौल ने प्रकरण क्रमांक 65/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-4-2015 से अपीलकर्ता को हितबद्ध पक्षकार मानते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया तथा प्रकरण गुणदोष पर विचार हेतु अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर को वापिस किया। आयुक्त शहडौल संभाग, शहडौल के इसी आदेश दिनांक 29-4-2015 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनॉक 29-4-2015 के अवलोकन से परिलक्षित है कि आयुक्त, शहडौल संभाग ने उनके समक्ष उजागर हुये तथ्यों के आधार पर अपीलकर्ता को हितबद्ध पक्षकार मानते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया है एंव प्रकरण गुणदोष पर विचार हेतु अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर को वापिस किया

है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 47 सहपठित 48 के प्रावधानों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को बेरूम्याद मानकर निरस्त किया है यदि द्वित्तीय अपील न्यायालय ने विलम्ब सद्भाविक मानकर अपील स्वीकार की है, तब द्वित्तीय अपील न्यायालय मामले का निराकरण गुणागुण पर न करते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय को गुणागुण पर निराकरण हेतु वापिस करेगा। इस प्रकार आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने प्रकरण क्रमांक 65/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-4-2015 से मामला गुणागुण पर निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को वापिस किया है। जहॉ तक आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जिला अनूपपुर के दीवानी प्रकरण क्रमांक 38 ए/15 में पारित आदेश दिनांक 20-7-17 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत कर निगरानी के निराकरण की मांग का प्रश्न है ? मान0 व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के आदेश दिनांक 29-4-2015 के क्रम में मामला अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के न्यायालय में जावेगा जहॉ पक्षकार माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर तदाशय की कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल द्वारा प्रकरण क्रमांक 65/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-4-2015 यथावत् रखते हुये निगरानी अमान्य की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर